

# बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

## अधिसूचना

अधिसूचना संख्या:- 2/अ0प्र0-4-50/2015 809 /पटना, दिनांक :- 15/3/2024

सी0ए0जी0 की कंडिका 5.3.2 (2011-12) ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल सीतामढ़ी, बेनीपट्टी, मुजफ्फरपुर पूर्वी-1, रोसड़ा एवं समस्तीपुर में पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत Mobilization एवं Equipment अग्रिम को अनियमित रूप से संबंधित संवेदकों को भुगतान करने से संबंधित है। इस कंडिका आपत्ति को लोक लेखा समिति द्वारा इस निदेश के साथ निष्पादित किया गया कि महालेखाकार की आपत्ति से संबंधित दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए तीन माह के अंदर पूरी राशि की वसूली कर समिति को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय। लोक लेखा समिति की अनुशंसा के आलोक में मामले से संबंधित अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की गई। उसी क्रम में मामले में आरोपित श्री नन्द गोपाल, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल रोसड़ा के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 42 दिनांक 04.11.2018 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई।

2. उपर्युक्त के प्रसंग में श्री गोपाल द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित नहीं किया गया। अतएव मामले के समीक्षोपरान्त उपर्युक्त आरोपों पर श्री गोपाल के विरुद्ध अद्यतन प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत अधिसूचना सं0 1153 दिनांक 05.07.2022 द्वारा मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इसके निमित्त श्री मुकेश श्रीवास्वत, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता-4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. मुख्य अभियंता-3-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 3631 दिनांक 25.11.2022 के, माध्यम से विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जॉच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा अंकित निष्कर्ष निम्नवत् है-

*"उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं मंतव्य के आलोक में श्री नन्द गोपाल, तदेन सहायक अभियंता पर आरोप सं0 1,2 एवं 3 को विभागीय प्रतिवेदन सत्यापित होने के पश्चात आरोप को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।"*

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग से समीक्षा कराई गई। अभियंता प्रमुख द्वारा मामले की समीक्षोपरान्त यह मंतव्य अंकित किया गया कि

*"मुख्य अभियंता-3 के प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि Mobilization Advance एवं Equipment Advance स्थल पर लाए गए सामाग्रियों, मशीनरी एवं बैंक गारंटी के विरुद्ध दिया गया है। साथ ही सी0ए0जी0 की कंडिका के संबंध में तत्कालीन अभियंता प्रमुख द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि दिए गए अग्रिम की वसूली भी हो चुकी है। अतएव संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में श्री नन्द गोपाल के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए आरोप मुक्त किया जा सकता है।"*

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मामले की समग्र समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री गोपाल को प्रश्नगत आरोप से मुक्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

6. अतः श्री नन्द गोपाल, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल रोसड़ा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार) ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल डुमराँव को प्रश्नगत मामले में आरोप मुक्त करते हुए उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डॉ० फातेह फैयाज)  
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ०प्र०-4-50/2015 809 /पटना, दिनांक:- 15/3/2024  
प्रतिलिपि :- अवर सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।  
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ०प्र०-4-50/2015 809 /पटना, दिनांक:- 15/3/2024  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 2/अ०प्र०-4-50/2015 809 /पटना/दिनांक:- 15/3/2024  
प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा/उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री नन्द गोपाल, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार) ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल डुमराँव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ०प्र०-4-50/2015 809 /पटना/दिनांक:- 15/3/2024  
प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।  
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ०प्र०-4-50/2015 809 /पटना/दिनांक:- 15/3/2024  
प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।  
संयुक्त सचिव